छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 1211/2003

अपीलार्थी (कारागार में):

रामचंद्र कलार, आत्मज भगवाली कलार, जाति- कलार (सिन्हा), आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी- सहसपुर, थाना-धमधा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-थाना धमधा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सत्र प्रकरण क्र. 74/2000

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध धारा 376

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपील

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल न्यायपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या 1211/2003</u>

रामचंद्र कलार

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री आर. के. जैन, आवेदक के अधिवक्ता

श्री यू.के.एस. चंदेल, राज्य हेतु पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 10 मार्च 2006 को सुनाया गया)

यह अपील सत्र प्रकरण संख्या 74/2000 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जी. मिन्हाजुद्दीन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2000 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के

अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. संक्षिप्त में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह है कि दिनांक 16.01.2000 को लगभग दोपहर 2.30 बजे अभियोक्त्री, जो कि 12 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, खेत से घर लौट रही थी। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को पकड़ लिया और उसे उठाकर पास के एक खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने चिल्लाने का प्रयास किया, किंतु अपीलार्थी ने उसका मुँह दबा दिया और उसे डराया-धमकाया। बलात्कार करने के पश्चात, अपीलार्थी भाग गया। योनि मार्ग से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, उसके अंतःवस्त्र, स्कर्ट और फ्रॉक खून से सन गए थे। अभियोक्त्री रोते हुए घर आई और अपने माता-पिता को घटना सुनाई। अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) उसी दिन शाम 6.00 बजे, 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाना धमधा में दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. डॉ. श्रीमती एस. राजपूत (अ.सा. 6) ने प्रदर्श पी.11 के अनुसार अभियोक्त्री का परीक्षण किया और योनि परीक्षण में पाया कि उसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। योनि के भीतर बड़ी मात्रा में रक्त के थक्के मौजूद थे। योनि की पार्श्व दीवार पर लगभग 4 सेमी लंबी विदारण (टीयर) भी मौजूद थी जो पिछली योनि की दीवार तक फैली हुई थी और जिससे प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था। 'फोरचेट' पर लगभग 1 सेमी लंबी चमड़ी की गहराई तक विदारण पाई गई, जिससे ताजा रक्तस्राव हो रहा था। यह

अभिमत दिया था कि उपर्युक्त चोटें बलपूर्वक संभोग के कारण हो सकती हैं। उन्होंने थाना धमधा द्वारा भेजी गई अभियोक्त्री की एक सूती स्कर्ट और एक सूती अंतःवस्त्र का भी परीक्षण किया और दोनों पर रक्त जैसे धब्बे पाए तथा धब्बों की प्रकृति की पुष्टि के लिए रासायनिक विश्लेषण की सलाह दी। अपीलार्थी का परीक्षण डॉ. पी.डी. चंद्रवंशी (अ.सा. 9) द्वारा किया गया और प्रदर्श पी.14 के अनुसार पाया गया कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम था। अभियोक्त्री का अंतःवस्त्र 'सामग्री ए-1', स्कर्ट 'सामग्री ए-2', अपीलार्थी का फुल पेंट 'सामग्री-बी' और जननांगों के बाल 'सामग्री-सी' के साथ रक्त रंजित मिट्टी 'सामग्री-डी' और सादी मिट्टी 'सामग्री-ई' को चिकित्सकीय विश्लेषण हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया था। अभियोक्त्री का अंतःवस्त्र 'सामग्री ए-1', स्कर्ट 'सामग्री ए-2' और अपीलार्थी के फुल पेंट 'सामग्री-बी', जननांगों के बाल 'सामग्री-सी' और रंजित मिट्टी पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई। स्कर्ट, फुल पेंट, जननांगों के बाल और रक्त रंजित मिट्टी पर मानव शुक्राणु और वीर्य की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई। अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (च) के तहत अभियोजन शुरू किया गया, जिसने अपराध से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 11 साक्षियों का परीक्षण कराया। विचारण न्यायाधीश ने अभियोक्त्री के कथन पर भरोसा करते हुए, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिपोर्ट और मौखिक साक्ष्य से हुई थी, अपीलार्थी को कंडिका-1 (उपरोक्त) के अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अभियोक्त्री के साक्ष्य की कंडिका 7 का संदर्भ दिया और तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के योनि मार्ग में केवल दो उंगलियां डाली थीं, जिसके परिणामस्वरूप वहां से रक्तस्राव हुआ था। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी का यह कृत्य अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत एक अपराध होगा न कि धारा 376 के तहत। यह भी तर्क दिया गया कि डॉ. श्रीमती एस. राजपूत (अ.सा. 6) द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान, अभियोक्त्री की योनि स्लाइड तैयार नहीं की गई थी, जो अकेले ही यह निर्णायक रूप से स्थापित कर सकती थी कि प्रवेशन हुआ था या नहीं। अंत में यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी लगभग छह वर्षों से दण्ड भोग रहा था और चूंकि घटना के समय अपीलार्थी 18 वर्ष का युवक था, इसलिए दिए गए दण्ड को अपीलार्थी द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि तक कम कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चंदेल ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि अमृता बाई (अ.सा. 1) का पूर्णतः अखंडित परिसाक्ष्य न केवल डॉ. श्रीमती एस. राजपूत (अ.सा. 6) के साक्ष्य से अपितु एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी.19 से भी पूरी तरह संपुष्ट था। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की धारा 376 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि सुस्थापित थी और जिस क्रूर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरीके से अपीलार्थी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था, उसे देखते हुए अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड में किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है।

5. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियोक्त्री (अ.सा. 1) ने कंडिका 1 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वह खेत से लौट रही थी, तो अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया, उसे उठाया और पास के एक खेत में ले जाकर उसके योनि मार्ग में अपना लिंग प्रवेश कराकर उसके साथ संभोग किया। उसने आगे कहा है कि उसे इस तरह के बलपूर्वक यौन हमले का शिकार बनाने के बाद अपीलार्थी ने उसकी योनि के भीतर दो उंगलियां डालीं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलार्थी ने केवल धारा 377 भा.दं.सं. के तहत एक अप्राकृतिक अपराध किया था, केवल खारिज किए जाने योग्य है। अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अपनी वासना पूर्ति करने के पश्चात, अपीलार्थी ने उसकी योनि में दो उंगलियां और डालीं, जिससे अभियोक्त्री को तीव्र पीड़ा हुई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। डॉ. श्रीमती एस. राजपूत (अ.सा. 6) के निष्कर्ष, जिनका निर्णय की कंडिका 15 में उल्लेख किया गया है, अभियोक्त्री के कथन की पूर्णतः संपुष्टि करते हैं। यह दर्शाता है कि अभियोक्त्री के साथ बहुत क्रूर यौन हमला किया गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 भी अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की पुष्टि करती है। अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा में उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिसाक्ष्य को खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका कथन स्वाभाविक है, विश्वास जागृत करता है और विश्वसनीय है। अभियोक्त्री की माता दुकाला बाई (अ.सा. 3) ने भी बताया है कि अभियोक्त्री को अत्यधिक योनि रक्तस्राव हुआ था जिसके लिए उसे दुर्ग के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

6. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि यह बिना किसी संदेह के पूरी तरह से स्थापित है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री, जो एक अवयस्क बालिका है, के साथ अत्यंत बलपूर्वक संभोग किया। जहां तक अभियोक्त्री की आयु का प्रश्न है, डॉ. श्रीमती एस. राजपूत के परिसाक्ष्य से केवल एक अनुमान प्रकट हुआ कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 12 वर्ष थी। चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं कर पाए कि अभियोक्त्री 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री थी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को धारा 376 भा.दं.सं. के तहत उचित रीति से दोषसिद्ध किया है। जहाँ तक विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए दण्ड का प्रश्न है मेरे सुविचारित अभिमत में, जिस क्रूर तरीके से एक अवयस्क बालिका का शील भंग किया गया, उसे देखते हुए अपीलार्थी किसी भी नरमी का पात्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परिणामतः, अपीलार्थी की धारा 376 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा उसके तहत दिए गए दण्ड में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह अपील गुणदोष रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
10.03.2006

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur